



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 20) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
3 जनवरी 2019

एस० ओ० 09, दिनांक 3 जनवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या— 817, दिनांक 07 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 145, दिनांक 07 सितम्बर, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या— 999, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 255, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 और बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या—1083, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 288, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते हैं जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास

तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है।”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-39)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

**3 जनवरी 2019**

एस0 ओ0 09, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-39)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 3<sup>rd</sup> January 2019***

S.O. 09, Date 3<sup>rd</sup> January 2019— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and in supersession of the Commercial Taxes Department notification No S.O.145 dated the 7<sup>th</sup> September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 817, dated the 7<sup>th</sup> September, 2017, Commercial Taxes Department notification No S.O.255 dated the 24th October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 999, dated the 24th October, 2017 and Commercial Taxes Department notification No S.O.288 dated the 16<sup>th</sup> November, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 1083, dated the 16<sup>th</sup> November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR3B for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues:

Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22<sup>nd</sup> December, 2018 to 31<sup>st</sup> March, 2019.

2. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-39)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 20-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>